

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,  
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक- 26 / 10 / 2018

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210051050022 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 5,37,57,500/- (रुपये पाँच करोड़ सैंतीस लाख सन्तावन हजार पाँच सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के पत्रांक-1069, दिनांक-08.10.2018 के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210051050022 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 5,37,57,500/- (रुपये पाँच करोड़ सैंतीस लाख सन्तावन हजार पाँच सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0022.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0-01/2018- 60(1)ब0 /स्वा0, पटना, दिनांक- 26 / 10 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/18

सरकार के विशेष सचिव

वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210051050022 को वित्तीय वर्ष  
2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	पूर्व का बजट उपबंध	वर्तमान बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0022.01.01 वेतन	75000000	75000000	56250000	18750000	75000000	0
0022.01.03 जीवन यापन भत्ता	7500000	7500000	5625000	1875000	7500000	0
0022.01.04 मकान किराया भत्ता	11200000	11200000	8400000	2800000	11200000	0
0022.01.05 परिवहन भत्ता	5000000	5000000	3750000	1250000	5000000	0
0022.01.06 चिकित्सा भत्ता	5000000	5000000	3750000	1250000	5000000	0
0022.01.07 अन्य भत्ता	7410000	7410000	5557500	1852500	7410000	0
<b>योग- वेतन एवं भत्ते</b>	<b>111110000</b>	<b>111110000</b>	<b>83332500</b>	<b>27777500</b>	<b>111110000</b>	<b>0</b>
0022.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	500000	250000	250000	500000	0
0022.11.01 यात्रा व्यय	100000	100000	50000	50000	100000	0
0022.13.01 कार्यालय व्यय	15000000	35000000	35000000	0	35000000	0
0022.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	200000	100000	100000	200000	0
0022.13.03 दूरभाष	100000	100000	50000	50000	100000	0
0022.13.04 विद्युत प्रभार	48000000	48000000	48000000	0	48000000	0
0022.13.05 विधि प्रभार	50000	50000	50000	0	50000	0
0022.13.06 वर्दी/पोशाक	10000	10000	5000	5000	10000	0
0022.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	800000	800000	400000	400000	800000	0
0022.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	100000	50000	50000	100000	0
0022.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	75000	75000	37500	37500	75000	0
0022.20.03 प्रशिक्षण व्यय	50000	50000	25000	25000	50000	0
0022.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां	15000000	15000000	7500000	7500000	15000000	0
0022.21.02 दवा भण्डार	50000	50000	37500	12500	50000	0
0022.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0	0
0022.28.02 संविदा सेवायें	50000000	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0022.52.01 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	10000000	10000000	5000000	5000000	10000000	0
<b>कुल योग:-</b>	<b>251145000</b>	<b>271145000</b>	<b>217387500</b>	<b>53757500</b>	<b>271145000</b>	<b>0</b>

(रुपये पाँच करोड़ सैंतीस लाख सन्तावन हजार पाँच सौ)

60(1) वॉ  
26-10-18

27/10/18  
सरकार के विशेष सचिव